न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 408 / 2024

अनवान : –

1. राजुराम पुत्र लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
3. रतना पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
5. सीमा पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
6. लाली पत्नी लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
7. गणपत पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर हाल रायपूरिया तहसील चुरू।
8. धर्मपाल पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर हाल रायपूरिया तहसील चुरू।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 10/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 262 / 278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमे लिछमणराम पुत्र बचनाराम 1 / 2 हिस्से एवं गणपतराम, धर्मपाल पुत्र सोहनराम 1 / 2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा रायपुरिया तहसील चुरू के खाता स0 264 / 36 की कुल 8.9665 हैक्ट भूमि में गणपत, धर्मपाल पुत्र सोहनराम प्रत्येक 1 / 6–1 / 6 हिस्से के एव वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1 / 12–1 / 12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

सोहनराम व लिछमण राम दोनो भाई थे एवं लिछमणराम एवं सोहनाराम दोनो फौत हो चुक है तथा उनके नाम दर्ज भूमि उनके वारिसान के नाम विरास्तन दर्ज हो चुकी है एवं दोनो भाईयों ने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर लिया है एवं बंटवारा में तैय किया गया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर की कृषि भूमि अपने भाई लिछमण को देनी तैयी की गई है एवं रोही मौजा रायपुरिया तहसील चुरू की कृषि भूमि सोहनराम को बंटवारा के देनी तैय की गई है एवं दोनो भाईयों की फौतदगी के बाद उनके वारिसान बंटवारा के अनुसार ही काबिज है। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 262 / 278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट में वादी व प्रतिवादीगण संख्या [illegible] एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है इन्ही [illegible] वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व [illegible] की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 6 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 6 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी स0 5 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया की प्रतिवादी स0 5 के खिलाफ कोई अनुतोष नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 262/278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमे लिछमणराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्से एवं गणपतराम, धर्मपाल पुत्र सोहनराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा रायपुरिया तहसील चुरू के खाता स0 264/36 की कुल 8.9665 हैक्ट भूमि में गणपत, धर्मपाल पुत्र सोहनराम प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के एव वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1/12–1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। सोहनराम व लिछमण राम दोनो भाई थे एवं लिछमणराम एवं सोहनाराम दोनो फौत हो चुक है तथा उनके नाम दर्ज भूमि उनके वारिसान के नाम विरास्तन दर्ज हो चुकी है एवं दोनो भाईयों ने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर लिया है एवं बंटवारा में तैय किया गया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर की कृषि भूमि अपने भाई लिछमण को देनी तैयी की गई है एवं रोही मौजा रायपुरिया तहसील चुरू की कृषि भूमि सोहनराम को बंटवारा के देनी तैय की गई है एवं दोनो भाईयों की फौतदगी के बाद उनके वारिसान बंटवारा के अनुसार ही काबिज है। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 262/278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब काबिज है एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 262/278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमे लिछमणराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्से एवं गणपतराम, धर्मपाल पुत्र सोहनराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा रायपुरिया तहसील चुरू के खाता स0 264/36 की कुल 8.9665 हैक्ट भूमि में गणपत, धर्मपाल पुत्र सोहनराम प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के एव वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1/12–1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि सोहनराम व लिछमण राम दोनो भाई थे एवं लिछमणराम एवं सोहनाराम दोनो फौत हो चुक है तथा उनके नाम दर्ज भूमि उनके वारिसान के नाम विरास्तन दर्ज हो चुकी है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दोनो भाईयों ने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर लिया है एवं बंटवारा में तैय किया गया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर की कृषि भूमि अपने भाई लिछमण को देनी तैयी की गई है एवं रोही मौजा रायपुरिया तहसील चुरू की कृषि भूमि सोहनराम को बंटवारा के देनी तैय की गई है एवं दोनो भाईयों की फौतदगी के बाद उनके वारिसान बंटवारा के अनुसार ही काबिज है। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 262/278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब काबिज है एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से वादी अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 का नाम कलमजन किया जाता है तथा शेष भूमि सहखातेदारान के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 408/2024

अनवान : –

1. राजुराम पुत्र लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
3. रतना पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
5. सीमा पुत्री लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
6. लाली पत्नी लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
7. गणपत पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर हाल रायपूरिया तहसील चुरू।
8. धर्मपाल पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर हाल रायपूरिया तहसील चुरू।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 408 सन 2024 निर्णय दिनांक 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री रविकान्त स्वामी तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 262/278 के ख0न0 980 की 10.497 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से वादी अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 का नाम कलमजन किया जाता है तथा शेष भूमि सहखातेदारान के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:40 IST
Reason: SelfAttested